

॥ कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर ॥

क्रमांक :- 1093

दिनांक :- 8/5/12

कार्यालय आदेश

दिनांक 26.04.2012 को पुलिस आयुक्तालय जयपुर में आयोजित हुई जिला स्टीयरिंग कमेटी (तम्बाकू नियंत्रण) की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार 'सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003' की धारा-8 (तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिबंध) के प्रावधानों/उपबंधों की अनुपालनार्थ चार संयुक्त निगरानी दल (Joint Monitoring Team) का गठन निम्नवत् किया जाता है तथा श्री रघुवीर सैनी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध), आयुक्तालय जयपुर को उक्त दलों का नोडल अधिकारी बनाया जाता है। उक्त टीम में पुलिस उपायुक्त जयपुर, उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमन कर धारा-8 की निगरानी कर उल्लंघन पाये जाने की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर संबंधित थानाधिकारी उक्त अधिनियम की प्रक्रियानुसार कार्यवाही करेंगे।

संयुक्त निगरानी दल (नं० 1 से 4) जयपुर, उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम

दल नं०	दल का नाम	क्र.सं.	उपस्थित का नाम व पद	कार्यालय का नाम/पदस्थान	मोबाइल नं०
1	जयपुर उत्तर	1.	श्री नवल लाल, पुलिस निरीक्षक	थानाधिकारी, सजय सफिल	9672373134
		2.	डी० नूपेन्द्र सैनी, चिकित्सा अधिकारी	डी० डी० एच०, जे०टी० कटला	9628284162
		3.	श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य	रा.स.ना.वि. उदयपुर	9413119948
		4.	सर्गीता जोषा, कार्यक्रम अधिकारी	आर.वी.एच.ए. बजाज नगर	8783199307
2	जयपुर दक्षिण	1.	श्री जयपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक	थानाधिकारी, महिला थाना जयपुर दक्षिण	9672373209
		2.	डी० विक्रम शर्मा, चिकित्सा अधिकारी	लीव रिजर्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	9649717000
		3.	श्री प्रकाश चन्द, प्रधानाचार्य	रा.स.ना.वि. वेवरी	9414248829
		4.	श्री कपिल चाम्पू, कार्यक्रम सहायक	आर.वी.एच.ए. बजाज नगर	9629444584
3	जयपुर पूर्व	1.	श्री नवल लाल खोखर, पुलिस निरीक्षक	प्रभारी जिला विशेष शाखा, जयपुर पूर्व	9672373304
		2.	डी० जयदेव सिंह, चिकित्सा अधिकारी	लीव रिजर्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	9414078404
		3.	श्री राजेश्वर जोषा, प्रधानाचार्य	रा.स.ना.वि. वेवरी	9480380892
		4.	श्री विष्णु सिंह रायव, परियोजना निदेशक	आर.वी.एच.ए. बजाज नगर	8890581920
4	जयपुर पश्चिम	1.	श्री जयदेव सिंह, पुलिस निरीक्षक	थानाधिकारी, विश्वकर्मा	9672373128
		2.	डी० नूपेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी	लीव रिजर्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	7597784677
		3.	श्री राम किशोर शर्मा, प्रधानाचार्य	रा.स.ना.वि. हरमंडा	9829220661
		4.	श्री एस.पी.एस. राजावत, अधिवक्ता	आर.वी.एच.ए. बजाज नगर	9462294899

उपरोक्तानुसार उचित समस्त संयुक्त निगरानी दल संप्ताह में एक दिन प्रत्येक शुक्रवार को अपने-अपने क्षेत्र में प्रमन कर नियमविच्छेद/अवैधानिक रूप से प्रदर्शित तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों के संबंध में की गई कार्यवाही से श्री रघुवीर सैनी, अति. पु. उपायुक्त (अपराध) एवं नोडल अधिकारी को क्रमशः नं० 59, पुलिस आयुक्तालय (दूरभाष नं० 0141-2382076) में अवगत करावेंगे। उक्त निगरानी कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र का थानाधिकारी अपने धाने का वाहन उक्त टीम को उपलब्ध करावेंगे एवं समस्त सदस्य समय निर्धारित कर आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति एवं इस प्रयोजन हेतु आवश्यक कार्य में जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रमन द्वारा सहयोग उपलब्ध रहेगा।

(स.स.ना.वि.)
 पुलिस आयुक्त एवं अध्यक्ष
 जिला स्टीयरिंग कमेटी (तम्बाकू नियंत्रण)
 जयपुर

राजस्थान पुलिस

क्रमांक : टी००००/१२/१०१३

दिनांक :- ८/५/२०१२

प्रतिष्ठिति :- निम्नलिखित को सुनना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सावर प्रेषित है :-

1. जिला सचिव, श्रीमन्मन् प्रमुख साक्षरता सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक(जन.स्वा./चि.प्रशा) एवं स्टेट नोडल अधिकारी(तम्बाकू नियन्त्रण)/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
3. जिला कमिश्नर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर।
4. सनस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/अपराध/यातायात।
5. श्री रघुवीर सैनी, अति. पुलिस उपायुक्त (अपराध) व नोडल अधिकारी, आयुक्तालय जयपुर।
6. डॉ. आलोक माथुर (सीएमओ), महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाये, एनटीसीपी, एमओएचएफडब्ल्यू ए" विंग निर्माण भवन नई दिल्ली।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम एवं जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियन्त्रण) तथा सदस्य सचिव, स्टीयरिंग कमेटी, जयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.), जयपुर प्रथम/द्वितीय, शिक्षा संकुल जयपुर।
10. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान वॉलन्टरी हेल्थ एसोसियेशन, बजाज नगर, जयपुर।
11. सनस्त 'संयुक्त निगरानी दल' (Joint Monitoring Team) सदस्यगण।
12. कार्यालय प्रति।


पुलिस उपायुक्त एवं अध्यक्ष
जिला स्टीयरिंग कमेटी (तम्बाकू नियन्त्रण)
जयपुर